GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2016/फाल्गुन 27, 1937

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 229]

[N.C.T.D. No. 229]

No. 45]

DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2016/PHALGUNA 27, 1937

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 मार्च, 2016

सं. फा. 01(48)/05/डीआईएसएमएच/आयु0/पार्ट फाइल-1/1218-1226.—दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1998 (1999 का दिल्ली अधिनियम सं. 4) की धारा 02 के खंड (छ) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 04 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. फा. 01(48)/05/डीआईएसएमएच/ आयु./पार्ट फाइल-1/141-49 के माध्यम से पूर्ववर्ती गठित बॉडी में क्रम संख्या 01, 03 तथा 06 पर विद्यमान सदस्यों की रिक्तियों के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामित करते हैं, अर्थात:—

क्र. सं.	नाम एवं पता	प्रावधान जिसके अन्तर्गत नामित किया गया
1	श्री अशोक कुमार संयुक्त सचिव (योजना) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	विनियम 2014 की धारा 3(3)(1) के साथ पठित धारा 33(3)(क)
3	डॉ. रशीदउल्लाह खान उप–प्रधान (यूनानी)	विनियम 2014 की धारा 3(3)(3) के साथ पठित धारा 33(3)(ग)
6	प्रोफेसर एस. शाकिर जमील	विनियम 2014 की धारा 3(3)(4) के साथ पठित धारा 33(3)(ङ)

^{2.} दिनांक 4 मार्च, 2011 की उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 08 पर नामित डॉ. प्रदीप कुमार को एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत परीक्षण निकाय के अध्यक्ष के रूप में नामित करते हैं।

उ. परीक्षण निकाय के उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से विद्यमान परीक्षण निकाय की शेष अविध तक होगा या जिस आधार पर वे नामित है तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, इसमें जो भी पहले हो।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, हेमन्त कुमार, उप-सचिव (स्वा० एवं परि० कल्या०-IV)

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 17th March, 2016

No. F. 1/48/05/DISMH/Ay./Pt.file-I/1218-1226.—In exercise of the powers conferred by section 33 read with clause (g) of section 2 of the Delhi Bharatiya Chikitsa Parishad Act, 1998 (Delhi Act No. 4 of 1999), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby nominates the following persons as members against the vacancies of existing members at Serial Nos. 1, 3 and 6 in the Body constituted earlier through Notification No. F.1/48/05/DISMH/Ay./Pt. file-I/141-49 dated the 4th March, 2011 under the said Act, namely:-

Sl. No.	Name and Address	Provision under which nominated
1.	Sh. Ashok Kumar, Joint Secretary (Planning), Health and Family Welfare Department	section 33(3)(a) read with section 3(3)(1) of Regulation-2014
3.	Dr. Rashidullah Khan, Vice President (UNANI)	section 33(3)(c) read with section 3(3)(3) of Regulation-2014
6.	Prof. S. Shakir Jamil	section 33(3)(e) read with section 3(3)(4) of Regulation-2014

- 2. Dr. Pradeep Kumar nominated at Sr. No. 8 in the said notification dated the 4th March, 2011 is hereby nominated as Chairman of the Examining Body under sub-section (4) of section 33 of the said Act.
- 3. The above members of Examining Body shall hold office, from the date of issuing this notification, till the remaining period of the existing of Examining Body or till they hold their office by virtue of which they have been nominated, whichever is earlier.

By order and in the Name of the Lt. Governor of the NCT of Delhi, HEMANT KUMAR, Dy. Secy. (H&FW-IV)

राजस्व विभाग (समन्वय शाखा) (मंडलायुक्त कार्यालय) अधिसूचना दिल्ली, 17 मार्च, 2016

सं. एफ. डीएसएचसी/009/2015-2016/200/7147.—हज समिति अधिनियम, 2002 (2002 का 35) की धारा 17 व 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली राज्य हज समिति का गठन करते हैं तथा निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्षों की अविध के लिए सदस्यों के रूप में तत्काल नियुक्त करते हैं, यथा